सं0 सं0 10/विविध–18–34/2002 338(10) 14-12-09

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय– राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों, देशी चिकित्सा प्रक्षेत्र सहित में अन्तर्वासी रोगियों के लिए पूर्व से निर्धारित पथ्य दर 25(पच्चीस) रूपये प्रतिदिन प्रति मरीज की वृद्धि करते हुए 50(पचास) रूपये प्रतिदिन प्रति मरीज स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के संकल्प सख्या 74(10) दिनांक 27.05.2005 के द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों में पथ्य की दर 25(पच्चीस) रूपये प्रतिदिन प्रति मरीज किया गया गया है, जो वर्तमान मे लागू है। मंहगाई में दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप इस अल्प राशि से अन्तर्वासी रोगियों को पथ्य उपलब्ध कराना कठिन है। पथ्य (भोजन) चिकित्सा का ही एक अभिन्न अंग है। अतः रोगी की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए स्वच्छ, सुपाच्य पथ्य भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक है।

2. पथ्य दर में वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। विचारोपरान्त राज्य सरकार ने पूर्व में निर्धारित 25(पच्चीस) रूपये प्रतिदनि प्रति मरीज को बढ़ाकर 50(पचास) रूपये प्रतिदिन प्रति मरीज करने का निर्णय लिया है।

3 यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

(संजीव हंस)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक--10/विविध–18–34/2002 388(10) /स्वा0, पटना, दिनांक 14-12-09

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 500(पॉच सौ) मुद्रित प्रतियां अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दें।

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी राज्य प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–सभी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी/जिला कुष्ट निवारण पदाधिकारी/जिला मलेरिया पदाधिकारी/सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, (फा0 नि0)/अधीक्षक, लेडी एलगिन जनाना अस्पताल, गया,/एम0 जे0 के0 अस्पताल बेतिया (प0 च0)/राज्य औषधी नियंत्रक/अधीक्षक संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुँआ पटना/उपाधीक्षक राजेन्द्र नगर अस्पताल पटना/गर्दनीबाग अस्पताल पटना/गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल पटना सिटि, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अधीक्षक, सदर अस्पताल /उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/राज्य प्रोग्राम पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अनुपालन हेतु सूचना अपने स्तर से दे दिया जाय।

प्रतिलिपिः— अधीक्षक सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/अधीक्षक सभी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी 1,7, 10 एवं 16/कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त 5 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री,/राज्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग, के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव